रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 2014/अग्रहायण 20, 1936
No. 362] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 2014/AGRAHAYANA 20, 1936

भारतीय भेषजी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म) पाठ्यक्रम विनियम, 2014

सं. 14-136/2014-भा.भे.परि.-भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्

भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म.) पाठ्यक्रम विनियम, 2014

अध्याय-I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. इन विनियमों का नाम भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म.) पाठ्यक्रम विनियम, 2014 है।
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
3. भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म.) में भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन वृति का व्यवसाय करने के लिए भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण/अर्हता अभिवृद्धि के प्रयोजनार्थ इन विनियमों में यथा विहित पाठ्यक्रम और परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

2. पाठ्यक्रम की अवधि :

(क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि दो पूर्णकालिक शैक्षणिक वर्ष होगी और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष कम से कम दो सौ कार्य दिवस का होगा।

(ख) एम.फार्म. का अध्ययन वार्षिक पद्धति का होगा जिसके अंतर्गत शैक्षणिक अवधि के प्रारंभ से 12 मास तक विस्तारित एम.फार्म (भाग-1) और अगले 12 मास की अवधि का एम.फार्म (भाग-2) होगा।

(ग) एम.फार्म. (भाग-1) के अंत में एम.फार्म (भाग-1) की विश्वविद्यालय परीक्षा होगी। एम.फार्म. (भाग-2) के अंत में अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर एक शोध निबंध (डेजरटेशन) प्रस्तुत करेगा।

अध्याय - II

3. एम.फार्म (भाग-1) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता

निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो -

(क) भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान से भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भारतीय विश्वविद्यालय की बी.फार्म डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उसने अधिकतम अंकों के कम से कम 55 % अंक (बी.फार्म के चार वर्षों का कुल योग) प्राप्त किए हों।

तथापि -

क. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्थान आरक्षण, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगा,

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंकों का प्रतिशत अधिकतम अंकों (बी.फार्म के चार वर्षों का कुल योग) का 50% होगा,

ग. देश में किसी भी भेषजी संस्था में स्नातकोत्तर भेषजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चुने गए प्रत्येक छात्र का राज्य भेषजी परिषद् में पंजीकरण होना चाहिए अथवा अपने प्रवेश की तारीख से एक मास के भीतर पंजीकरण करा ले अन्यथा उस छात्र का प्रवेश रद्द हो जाएगा।

4. स्नातकोत्तर भेषजी पाठ्यक्रम और परीक्षा का अनुमोदन :

4.1 क. कोई व्यक्ति, संस्था, सोसायटी या विश्वविद्यालय भारतीय भेषजी परिषद् के अनुमोदन के बिना एम.फार्म. कार्यक्रम प्रारंभ और संचालित अथवा प्रवेश संख्या में वृद्धि नहीं करेगा।

ख. कोई व्यक्ति, संस्था, सोसायटी या विश्वविद्यालय भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के अधीन अनुमोदन हासिल करने के प्रयोजनार्थ एक स्कीम प्रस्तुत करेगा।

ग. उपर्युक्त उपविनियम (ख) में निर्दिष्ट स्कीम ऐसे प्रारूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी तथा ऐसी रीति से दी जाएगी तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा निर्धारित की गई हो।

घ. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुमोदन शुरू में अधिक से अधिक 5 वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए दिया जाएगा इसके पश्चात् उसका नवीकरण कराना होगा,

ड. अनुमोदन के नवीकरण की प्रक्रिया वही होगी जो अनुमोदन देने के लिए लागू होती है,

च. उप-विनियम-4(घ) में यथा अपेक्षित अनुमोदन का समय से नवीकरण न करा पाने पर संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश रोक दिया जाएगा।

4.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की पात्रता

क. धारा 12 के अधीन भेषजी स्नातक पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थाएं अथवा स्नातकोत्तर भेषजी शिक्षा देने के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थान किसी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए पात्र होंगी।

तथापि भारतीय भेषजी परिषद् केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और प्रबंधित किसी ऐसी वर्तमान/प्रस्तावित विशेषीकृत संस्थान या स्वायत्त निकाय को स्नातक पूर्व शिक्षकों की निर्धारित शर्त पूरी करने से छूट दे देगी और स्नातकोत्तर भेषजी कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दे देगी।

ख. इन विनियमों का क्रियान्वयन और भेषजी (एम.फार्म) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने से पूर्व, स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम चलाने के लिए भेषजी अधिनियम की धारा 12 के अधीन भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थान अथवा स्नातकोत्तर भेषजी शिक्षा देने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थान जो इन विनियमों के क्रियान्वयन के पूर्व से ही स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम.फार्म.), चला रहे हैं उन्हें इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अन्दर उपर्युक्त उपविनियम 4.1 (ख) में वर्णित रूप में भारतीय भेषजी परिषद् को आवेदन करना होगा।

ग. किसी स्नातकोत्तर भेषजी पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की अधिकतम संख्या जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री के लिए प्रशिक्षण देने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विभाग/संस्था में पंजीकृत

किए जा सकते हैं, अवसंरचना, शिक्षकों और शिक्षण सामग्री के रूप में विभाग/संस्था में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर तय होगी।

तथापि यह कि भारतीय भेषजी परिषद् इन विनियमों के अधीन किसी संस्था को तब तक अनुमोदित नहीं करेगी जब तक कि उसमें इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में भवन, आवास, प्रयोगशाला, उपकरण, शिक्षण कर्मचारीवृंद, शिक्षणेतर कर्मचारीवृंद आदि के विषय में शिक्षण के पर्याप्त इंतजाम न किए गए हों।

5. स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थानों द्वारा पालन की जाने वाली साधारण शर्तें :

(i) स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या क्षमता पर आधारित होगी।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम में पढ़ाई अनिवार्यतः स्वायत और स्वनिदेशित होगी;

(iii) निर्माणात्मक और संकल्पनात्मक दोनों आंकलनों का सम्मिश्रण स्नातकोत्तर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

(iv) पाठ्य चर्या के प्रति मापांक दृष्टिकोण किसी विषय से संबंद्ध विभिन्न उप-विशेषताओं में क्रमबद्ध तरीके से भाग लेने के लिए अनिवार्य है।

(v) स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण में उद्यम और समाज की जरूरतों से प्राप्त अथवा उन्हें लक्ष्य मानकर पढ़ाई का अनुभव भी अंतर्ग्रस्त है। अतः यह आवश्यक है कि छात्र वृत्ति और समाज आधारित क्रियाकलाप में भाग लें।

6. <u>स्नातकोत्तर भेषजी शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य और व्यापक उद्देश्य जिनका पालन स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थान को करना होगा</u> ।

6.1. <u>लक्ष्य</u>

स्नातकोत्तर भेषजी शिक्षा का लक्ष्य वृत्तिक दृष्टि से सक्षम विशेषज्ञ और/या भेषजी शिक्षक तैयार करना है जो -

(i) वृत्ति और समाज की वृत्तिक जरूरतों को मान्यता देंगे तथा वृत्तिक बाध्यताओं का नैतिक रूप से तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति/राष्ट्रीय औषधि नीति के उद्देश्यों के अनुरूप पालन करेंगे ;

(ii) विशेषज्ञता से संबंधित क्षमताओं में से जो भेषजी वृति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त की जानी अपेक्षित है, अधिकांश में निपुणता प्राप्त कर चुके हों;

(iii) संबंधित विषय में समकालीन प्रगतियों और गतिविधियों से परिचित होंगे;

(iv) वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना अर्जित कर चुके हों तथा अनुसंधान कार्य प्रणाली के सिद्धांतों की ओर उन्मुख हों;

(v) भेषजी के शिक्षण में तथा अन्य स्वास्थ्य वृत्तियों में आधारभूत कौशल अर्जित कर चुके हों।

6.2. <u>स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के अंत में छात्रों से अपेक्षित स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के व्यापक उद्देश्य</u>:

संबंधित विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के अंत में छात्र -

(i) समाज की वृत्तिक जरूरतों और स्वास्थ्य एवं भेषजी क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में संबंधित विशेषज्ञता के महत्त्व को मान्यता प्रदान करने में;

(ii) वृत्ति का काम नैतिक तरीके से करने में;

(iii) संबंधित विशेषज्ञता से सुसंगत आधारभूत विज्ञानों की पर्याप्त समझ प्रदर्शित करने में;

(iv) किसी स्थिति विशेष में स्वास्थ्य/भेषजी के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, जैविक और भावनात्मक अवधारकों की पहचान करने में, तथा वृत्तिक रणनीतियों की योजना बनाते समय उन्हें ध्यान में रखने में;

(v) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय औषधि नीति आदि के कारगर और उत्तरदायित्त्वपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन में सौंपी गई भूमिका निभाने में;

(vi) स्वनिदेशित नौसिखिया के रूप में कौशल को विकसित करने में, निरन्तर शिक्षा जरूरतों को मान्यता देने में, समुचित विद्या संसाधनों का चुनाव करने और उनका उपयोग करने में;

(vii) अनुसंधान कार्यप्रणाली की आधारभूत संकल्पनाओं में क्षमता प्रदर्शित करने में तथा सुसंगत प्रकाशित शोध साहित्य का आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषण करने में;

(viii) स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान या प्रशिक्षण में संलग्न स्वास्थ्य दल के प्रभावकारी नेता के रूप में कार्य करने में समर्थ हो जाएगा।

(ix) स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान या प्रशिक्षण में संलग्न स्वास्थ्य दल के प्रशिक्षण में संलग्न स्वास्थ्य दल के प्रभावकारी नेता के रूप में कार्य करने में समर्थ हो जायेगा।

7. **क्षमताओं का विवरण** :

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय का उद्देश्य विनिर्दिष्ट क्षमताओं को विकसित करना होगा जो स्पष्ट शब्दों में परिभाषित और परिनिश्चित करेगा। प्रत्येक विभाग एक विवरण तैयार करेगा तथा उन्हें कार्यक्रम के शुरू में प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी में लाएगा ताकि वह इन क्षमताओं की प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर सके।

8. **स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या के मुख्य घटकः**

स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या के मुख्य घटक निम्नलिखित होंगे--

- सैद्धांतिक ज्ञान,
- व्यावहारिक/क्लिनिकल कौशल,
- शोध-प्रबंध (थिसिस) कौशल,
- संसूचना कौशल सहित अभिवृति
- अनुसंधान कार्यप्रणाली में प्रशिक्षण

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को निम्नलिखित क्षेत्र में भाग लेना होगा -

- सांख्यिकी के आधार तत्वों को समझना और प्रकाशित अनुसंधान पत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना,
- व्याख्यान देना तथा मानव आचरण के पाठ्यक्रम के अन्य प्रकारों में भाग लेना
- भेषज-अर्थशास्त्र का बुनियादी बोध
- अरेखीय गणित का परिचय।

9. **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की नाम पद्धति** :

स्नातकोत्तर भेषजी पाठ्यक्रमों की नाम पद्धति ऐसी होगी जो इन विनियमों के परिशिष्ट-क में दी गई है : तथापि इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ किए गए स्नातकोत्तर भेषजी डिग्री पाठ्यक्रमों तथा उन पाठ्यक्रमों की स्थिति में जो विनियमों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, संबंधित संस्थान ऐसे पाठ्यक्रमों को तब तक चालू रखेंगे जब तक प्रवेश दिए गए छात्र उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा न कर लें।

10. **पाठ्य विवरण** -

हर विषय का पाठ्यविवरण वह होगा जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

11. **स्नातकोत्तर छात्रों का चयन** :

1. स्नातकोत्तर भेषजी पाठ्यक्रम के छात्रों का चयन कड़ाई से उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

2. शैक्षणिक योग्यता तय करने के लिए विश्वविद्यालय/संस्था निम्नलिखित में से कोई एक प्रक्रिया अपना सकेगी -

   (i) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकरण या उसी राज्य में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों के समूह द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अवधारित योग्यता के आधार पर, अथवा

   (ii) राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित केन्द्रीयत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अवधारित योग्यता के आधार पर; अथवा

(iii) प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम भेषजी स्नातक परीक्षा में व्यक्तिगत संचयी प्रदर्शन के आधार पर यदि ऐसी परीक्षा एक ही विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हैय अथवा

(iv) (i) और (iii) के संयोजन के आधार पर

तथापि जहां कहीं स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए परीक्षा राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकृत परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित की जाए वहां स्नातकोत्तर भेषजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक साधारण प्रवर्ग के लिए 55 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी के लिए 50 प्रतिशत होगी।

12. **स्नातकोत्तर छात्र का एक भेषजी महाविद्यालय या संस्था से किसी दूसरे में प्रवास/स्थानांतरण**

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों का प्रवास/स्थानांतरण किसी विश्वविद्यालय या किसी प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यह भारतीय भेषजी परिषद् की नीति से शासित होगा।

13. **परीक्षा**

एम.फार्म की परीक्षा इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षाएँ प्रशिक्षण के अंत में अभ्यर्थी का ज्ञान स्तर, कौशल स्तर और क्षमता का मूल्यांकन करने और प्रमाणित करने के लिए ग्रेडिंग या अंकन प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाएँगी।

क. **एम.फार्म. (भाग-1) के लिए**

(i) कलेण्डर वर्ष के अंत में एम.फार्म (भाग-1) के लिए परीक्षा होगी। प्रथम परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा अनुपूरक परीक्षा होगी।

(ii) परीक्षाएं लिखित में और व्यावहारिक (मौखिक सहित) होगी।

ख. **एम.फार्म. (भाग-2) के लिए**

एम.फार्म (भाग-2) की परीक्षा में एम.फार्म.(भाग-2) पाठ्यक्रम के प्रारंभ के पश्चात् 12 मास (1 वर्ष) के अंत में शोध प्रबंध और मौखिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा।

13.1 **परीक्षा में बैठने की पात्रता**

क. केवल वही छात्र, परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जो उस संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देंगे जिसमें उसने एम.फार्म. (भाग-1) किया है, जो इस बात का सबूत होगा कि उसने हर विषय में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों में पृथक-पृथक आयोजित कक्षाओं में कम से कम 80% उपस्थिति के साथ पाठ्यक्रम नियमित तौर पर और संतोषजनक ढंग से किया है। इसी प्रकार, वही अभ्यर्थी शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा जिसने एम.फार्म.(भाग-2) में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की है।

ख. एम.फार्म. कार्यक्रम में पढ़ने वाला छात्र पूर्णकालिक छात्र के रूप में पूर्ण अवधि के लिए संस्था के संबंधित विभाग में अध्ययन करेगा। एम.फार्म. कार्यक्रम का अध्ययन करते समय छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंग स्वरूप के सिवाय, किसी भी प्रयोगशाला/महाविद्यालय/उद्योग/भेषजी आदि में काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं है।

ग. उपस्थिति की गणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र को एक इकाई माना जाएगा।

ध. हर छात्र विभाग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक वर्ष के दौरान गोष्ठी, संगोष्ठी, सम्मेलन, पत्रिका समीक्षा बैठकों और व्याख्यानों में उपस्थित रहेगा और पूर्व अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा।

ड़. जो छात्र उल्लेखित रीति से पाठ्यक्रम पूरा करने में असफल रहेगा वह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

13.2 **परीक्षाओं की स्कीम**

क. **परीक्षा का ढंग**

(i) सिद्धांत परीक्षा तीन घण्टे तथा व्यावहारिक परीक्षा छह घण्टे की होगी।

(ii) जो छात्र किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है वह उसी विषय की सैद्धांतिक और व्यावहारिक परीक्षा दोनों में पुनः बैठेगा।

(iii) व्यवहारिक परीक्षा में मौखिक परीक्षा भी शामिल है।

(iv) किसी भी दिन क्लिनिकल/व्यवहारिक और मौखिक परीक्षा के अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या एम.फार्म परीक्षाओं के लिए पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

(v) किसी भी विषय में एम.फार्म. परीक्षाओं में शोध प्रबंध, सैद्धांतिक प्रश्नपत्र और व्यावहारिक तथा मौखिक परीक्षाएं शामिल होंगी।

ख. <u>सत्र परीक्षाएं</u>

(i) विशेषज्ञता के हर विषय में कम से कम दो आवधिक सत्र परीक्षाएँ सिद्धांत और व्यवहार दोनों में क्रमशः प्रथम अवधि और दूसरी अवधि के अंत में नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाएंगी जिसमें संगोष्ठियां भी शामिल हैं।

(ii) किन्हीं दो प्रदर्शनों का सर्वोच्च कुल योग सत्र अंकों की गणना करने का आधार होगा।

(iii) सत्र अंक सिद्धांत और व्यवहार में अधिकतम 50 अंकों में से निम्न प्रकार दिए जाएंगे :-

<u>सिद्धांत</u>

लिखित परीक्षा	:	30 अंक (दो का औसत)
संगोष्ठी	:	20 अंक
योग	:	50 अंक

<u>व्यवहार</u>

व्यावहारिक परीक्षा	:	30 अंक (दो का औसत)
प्रयोगशाला कार्य (अभिलेख)	:	20 अंक
योग	:	50 अंक

(iv) एम.फार्म. कार्यक्रम का प्रशिक्षण देने वाली संस्था में आयोजित सिद्धांत और व्यावहारिक कक्षा कार्य तथा परीक्षाओं का नियमित अभिलेख रखा जाएगा।

ग. <u>सत्र अंकों में सुधार</u> -

जो छात्र सत्र अंकों में सुधार करना चाहते हैं वे आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त सत्र परीक्षाओं में बैठकर ऐसा कर सकते हैं। दो परीक्षाओं के औसत अंक सिद्धांत में बेहतर सत्र अंकों के लिए आधार होगा। व्यवहार के सत्र अंकों में अतिरिक्त व्यावहारिक परीक्षाओं में बैठकर सुधार किया जा सकता है। व्यवहार कक्षा में रोजमर्रा के आकलन के लिए छात्र को दिए गए अंकों में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब तक ि कवह पुनः नियमित पाठ्यक्रम में उपस्थित न हो।

घ. <u>विश्वविद्यालय परीक्षा एम.फार्म (भाग-1)</u>

(i) विश्वविद्यालय की दो वार्षिक परीक्षाएं होंगी (वार्षिक और अनुपूरक)।

(ii) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा और 100 अंकों का होगा।

(iii) प्रत्येक व्यवहार प्रश्न-पत्र 6 घंटे की अवधि का होगा और 100 अंकों का होगा।

<u>सिद्धांत</u>

(i) सिद्धांत के चार प्रशन-पत्र होंगे।

(ii) सैद्धांतिक परीक्षाएं व्यावहारिक परीक्षा से काफी पहले आयोजित की जाएगी ताकि उत्तर पुस्तकों का आकलन और मूल्यांकन व्यावहारिक तथा मौखिक परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व किया जा सके।

व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा

(i) व्यावहारिक परीक्षा प्रायोगात्मक/प्रयोगशालात्मक अध्ययन पर आधारित विधिमान्य और सुसंगत अवलोकन करने के लिए अभ्यर्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता को तथा ऐसे अध्ययन करने की उसकी योग्यता को जो उसके विषय से सुसंगत है परखने के लिए आयोजित की जाती है।

(ii) मौखिक परीक्षा सांगोपांग होगी और उसका उद्देश्य विषय, अन्वेषणात्मक प्रक्रिया, तकनीक तथा विशेषज्ञता के अन्य पहलुओं के बारे में जो परीक्षा के अंग हैं, अभ्यर्थी के ज्ञान और क्षमता का निर्धारण करना होगा।

14. शोध प्रबंध

1. प्रत्येक अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक के मार्गदर्शन में सौंपी गई शोध परियोजना पर काम करेगा, उसके निष्कर्ष को लेखबद्ध करेगा और शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत करेगा।

2. शोध प्रबंध के लेखन कार्य का उद्देश्य, अभ्यर्थी के शोध की तकनीकों, आलोचनात्मक विश्लेषण, आयुर्विज्ञान में नवीनतम प्रगति की जानकारी तथा उपलब्ध साहित्य की पहचान और उसे देखने की रीति में सहभागी बनने के अलावा, अन्वेषण की भावना की गतिविधि में योगदान करना है। शोध प्रबंध सैद्धांतिक और व्यावहारिक परीक्षा से कम से कम दो मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

3. शोध प्रबंध की जांच न्यूनतम दो परीक्षकों एक आंतरिक और एक बाहरी परीक्षक द्वारा की जाएगी।

15. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक

(i) किसी छात्र को एम.फार्म परीक्षा में तब तक उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने सिद्धांत परीक्षाओं में अलग-अलग प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक जिसके अंतर्गत सत्र परीक्षा के अंक तथा सत्र परीक्षा सहित प्रत्येक व्यावहारिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक भी शामिल हैं प्राप्त न किए हों।

(ii) एम.फार्म परीक्षा में एक ही प्रयास में सब विषयों में कुल 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी में घोषित किया जाएगा।

(iii) किसी विषय या किन्हीं विषयों में 70% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उस विषय या उन विषयों में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा बशर्ते कि वह एक ही प्रयास में सब विषयों में उत्तीर्ण हो।

16. एम.फार्म.(भाग-2) में प्रोन्नति की पात्रता

(i) वे सब छात्र जो सब विषयों की परीक्षा में बैंठे हैं और प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति के पात्र हैं।

(ii) एम.फार्म. (भाग-1) परीक्षा के विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र को एम.फार्म. (भाग-2) कार्यक्रम के लिए रजिस्टर कराने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। किन्तु ऐसे छात्रों को शोध निबंध प्रस्तुत करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह एम.फार्म.(भाग-1) परीक्षा पूरी न कर लें और एक साथ सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में उत्तीर्ण न हो जाए।

17. परीक्षाओं का अनुमोदन

विनियम 10 में वर्णित परीक्षाएं उस परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी जिसे भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए। ऐसा अनुमोदन तभी दिया जाएगा जब संबंधित परीक्षा प्राधिकरण उन शर्तों को पूरा करे जो इन विनियमों के परिशिष्ट-ख में विनिर्दिष्ट हैं।

18. परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र

प्रत्येक छात्र को जिसने एम.फार्म. (भेषजी स्नातकोत्तर) कार्यक्रम की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है, परीक्षा प्राधिकरण द्वारा डिग्री प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

19. परीक्षक

(क) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाले मान्य स्नातकोत्तर शिक्षक ही स्नातकोत्तर परीक्षक होंगे।

(ख) सभी स्नातकोत्तर परीक्षओं के लिए परीक्षकों की संख्या कम से कम दो होगी जिनमें से एक बाहरी परीक्षक होगी जिसे परीक्षा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बाहर से अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा प्राधिकरण से आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) परीक्षा प्राधिकरण परिशिष्ट 'ग' में अंकित परीक्षकों की नियुक्ति विषयक दिशा निर्देशों का अनुसरण करेंगे।

20. संस्थागत विभागीय प्रशिक्षण सुविधाएं

ऐसे संस्थान/विभाग को जिसके पास निर्धारित की गई शिक्षकों की न्यूनतम संख्या और अन्य सुविधाएं हैं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता दी जाएगी।

20.1 कर्मचारीवृंद - शिक्षक

(क) किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने वाले विभाग में न्यूनतम पांच पूर्णकालिक संकाय सदस्य संबंधित विषय के होंगे जिनमें से एक प्रोफेसर/सह प्रोफेसर होगा, दो सहायक प्रोफेसर तथा दो प्राध्यापक होंगे जिनके पास "भेषजी संस्थानों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता विनियम, 2014" में निर्धारित अर्हता और अनुभव है ;

तथापि एक ही विभाग में चलाए जाने वाले दूसरे और पश्चातवर्ती स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त शिक्षक होंगे जिनमें कम से कम एक संबंधित विशेषज्ञता में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर हो।

(ख) केवल उन्हीं शिक्षकों को भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा स्नातकोत्तर भेषजी शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी जिनके पास एम.फार्म./फार्म. डी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव हो अथवा पी.एच.डी. के बाद तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

20.2 स्नातकोत्तर संस्थान के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

(क) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण दोनों को संचालित करने वाली संस्था भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा निर्धारित स्नातकपूर्व प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करेंगे तथा विभाग में किए जा रहे कार्य के प्रकार पर निर्भर करते हुए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की अतिरिक्त अपेक्षाओं को भी पूरा करेंगे। शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मचारीवृंद्ध, आवास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सुविधाएं, जो विभिन्न विभागों में सुलभ होनी चाहिए वैसी होंगी जो परिशिष्ठ-घ में दी गई हैं।

(ख) केवल स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने वाला विभाग -

(i) सांगोपांग प्रशिक्षण से संगत सुविधाएं सुलभ करायेगा जिनके अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् की सिफारिशों के अनुसार प्रशिक्षण के विषय से संबंद्ध पूर्व स्नातक कार्यक्रमों और विभागों का प्रशिक्षण भी शामिल है।

(ii) प्रशिक्षण के समन्वय के लिए आनुषंगिक विभाग की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

20.3 क्लिनिकल विभागों में बिस्तरों की संख्या

भेषजी व्यवसाय में स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता हेतु विभाग को किसी अस्पताल में पर्याप्त क्लिनिकल प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ करानी होंगी।

अपेक्षित सुविधाओं के विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं -

1. **अस्पताल तैनाती** : हर छात्र को पाठ्यक्रम के हर वर्ष कम से कम 50 घण्टे की अवधि के लिए जो कम से कम 200 कार्य दिवसों में हों, घटक अस्पताल में तैनात किया जाएगा। हर छात्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो गुरू द्वारा सम्यकतः प्रमाणित हो और विभागाध्यक्ष या संस्थान प्रमुख जो भी संबंधित हो, अनुप्रमाणित की हो। दूसरे वर्ष में हर छात्र अपने शोध निबंध/शोध प्रबंध कार्य के अंग स्वरूप दैनिक आधार पर प्रातः काल में आधा दिन वार्ड का दौरा करने में बिताएगा।

2. **अस्पताल के ब्यौरे** : भेषजी व्यवसाय में एम.फार्म. की शिक्षा देने का आशय रखने वाले ऐसे संस्थान।

(i) जिनका कम से कम 300 बिस्तरों का अपना अस्पताल हो

अथवा

भारतीय चिकित्सा परिषद् या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पताल, अथवा सरकारी अस्पपताल जो 300 बिस्तर वाले जिला मुख्यालय अस्पताल के स्तर से कम न हो, के साथ संबंध और स्पष्टतः परिभाषित समझौता ज्ञापन होगा जिसके अंतर्गत कार्यक्रम की सहायता हेतु वृतिक जन शक्ति सुलभ कराने की सम्मति के साथ न्यूनतम प्रति छात्र 30 वर्ग फुट के हिसाब से फर्श क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) वाला भेषजी व्यवसाय विभाग भी शामिल है।

अथवा

स्पष्टतः परिभाषित समझौता ज्ञापन के साथ न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले कारपोरेट अस्पताल से संबंद्ध होंगे जिसमें कार्यक्रम की सहायता हेतु वृतिक जन शक्ति सुलभ कराने की सम्मति के साथ न्यूनतम प्रति छात्र 30 वर्ग फुट के हिसाब से फर्श क्षेत्रफल युक्त भेषजी व्यवसाय विभाग भी शामिल है।

ii) उन संस्थानों की संख्या जो एक अस्पताल से संबंद्ध किए जा सकेंगे, एक तक ही सीमित रहेगी तथा बिस्तर और छात्र भेषजज्ञ का अनुपात 1:10 होगा।

21. <u>विशेषज्ञता</u>

क) तीसरे स्तर के देखभाल अस्पताल वांछनीय है।

ख) औषधि (अनिवार्य), और निम्नलिखित में से कोई तीन विशेषताएं :-

1. शल्य चिकित्सा
2. बाल चिकित्सा विभाग
3. स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान
4. मनो रोग चिकित्सा
5. त्वचा और रतिरोग
6. विकलांग विज्ञान

<u>अस्पताल का स्थान</u>

निगम या नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अथवा यथोचित दूरी पर या कैम्पस के भीतर जिसके साथ योजक फैकल्टी के रूप में चिकित्सा फैकल्टी भी हो।

22. <u>उपकरण</u>

विभाग में परिशिष्ट 'ड.' में अंकित उपकरण और उपस्कर पर्याप्त संख्या में होंगे।

23. <u>प्रवेश दिए जाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या</u>

(1) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षकों का अनुपात 1:3 का होगा कि किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर डिग्री के 15 से अधिक छात्र एक शैक्षणिक वर्ष में एक विभाग/विशेषज्ञता में नामांकित नहीं किए जाएंगे।

(2) परन्तु किसी शैक्षणिक वर्ष में खाली रह गए स्नातकोत्तर स्थान अगले या पिछले शैक्षणिक वर्ष में अग्रेषित नहीं किए जाएंगे।

24. <u>प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

24.1 विभिन्न स्नातकोत्तर भेषजी डिग्री देने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातकोत्तर छात्रों को सम्यक देखभाल के साथ दिए गए प्रशिक्षण से संस्था में रहने के दौरान शिक्षा कार्यक्रम के परिणामस्वरूप तैयार विशेषज्ञों और/या भेषजी शिक्षकों की विशेषज्ञता अवधारित होगी।

24.2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला प्रत्येक संस्थान एक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक एकांश या पाठ्यचर्या समिति स्थापित करेगा जो अन्य विभाग फैकल्टी से परामर्श करके प्रत्येक विशेषज्ञता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करेगा तथा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का समन्वय तथा अनुवीक्षण करेगी।

24.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाएगा। ढांचागत प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेखबद्ध किया जाएगा तथा इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा ताकि परीक्षक अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रशिक्षण को अवधारित कर सकें और भारतीय भेषजी परिषद् के निरीक्षक निरीक्षण के समय उसका आकलन कर सकें।

24.4 स्नातकोत्तर छात्र अपने किए गए कार्य की तथा व्यावहारिक कार्यों समनुदेशन कार्यों और उपलब्ध कराये गए अन्य प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण अवधि के दौरान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक अभिलेख पुस्तिका (लॉग बुक) रखेंगे। उन अभिलेख पुस्तिकाओं की पड़ताल और आकलन प्रशिक्षण देने वाले फैकल्टी सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

24.5 क्लिनिकल विषयों (भेषजी व्यवहार) में दी जाने वाली स्नातकोत्तर डिग्री के प्रशिक्षण के दौरान संबंधित विषयों से संबंद्ध आयुर्विज्ञान में उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त प्रत्येक विषय का अनुशासन का व्यवसाय करने के लिए अपेक्षित विशेषीकृत कौशल और अनुभव पर बल देना होगा।

24.6 विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्रियाँ देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्रियान्वयन में व्याख्यान, संगोष्ठियां, पत्रिका क्लब, समूह परिचर्चा, प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्य में सहभागिता तथा संबंधित विशेषज्ञता में शोध अध्ययन करना तथा विशेषज्ञों से सुसंगत विषय के व्यावहारिक पहलुओं में भाग लेना शामिल है।

परिशिष्ट - क

(विनियम संख्या 9 देखिए)

वे विशेषज्ञताएँ/विषय जिनमें भेषजी में स्नातकोत्तर डिग्री भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी जा सकती है -

1. फार्मास्युटिक्स
2. इंडस्ट्रीयल फार्मेसी
3. फार्मास्युटिकल टैकनोलॉजी
4. फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री
5. फार्मास्युटिकल एनालीसिस
6. फार्मास्युटिकल क्वालिटी एस्योरेन्स
7. रेगुलेटरी अफेयर्स
8. फार्मास्युटिकल बायोटैकनोलॉजी
9. फार्मेसी प्रैक्टिस
10. फार्माकोलॉजी
11. फार्माकागनोसी
12. फाईटोफार्मेसी एवं फाइटोमेडिसिन
13. कोई अन्य विशेषज्ञता जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर विहित की जा सकेगी।

परिशिष्ट - ख

(विनियम 17 देखिए)

परीक्षा प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

1. परीक्षा प्राधिकरण एक भारतीय विश्वविद्यालय होगा जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित हो या डीम्ड विश्वविद्यालय होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं का अनुशासन और शालीनता का पालन कड़ाई से किया जाए।
2. वह भारतीय भेषजी परिषद् के निरीक्षक या निरीक्षकों को परीक्षा में जाने और उनका निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

3. वह निम्नलिखित को सुलभ कराएगा -

(क) लिखित परीक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक फर्नीचर सहित पर्याप्त कक्ष ;

(ख) प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने के लिए साधन सम्पन्न प्रयोगशालाएं ;

(ग) परीक्षाएं आयोजित करने और अन्वीक्षण करने के लिए अर्हित और उत्तरदायी परीक्षकों की पर्याप्त संख्या ;

(घ) ऐसी अन्य सुविधाएं जो परीक्षाओं के दक्षतापूर्ण उचित आयोजन के लिए आवश्यक हों।

4. यदि किसी छात्र द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो वह निर्धारित फीस यदि कोई है तो, परीक्षा प्राधिकरण को अदा करने के बाद परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक तालिका देगा।

5. वह ऐसे परीक्षकों को नियुक्त करेगा जिनकी अर्हताएं वही होंगी जो अलग-अलग विषयों में शिक्षकों की होती है और जो 'भेषजी संस्थानों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता विनियम 2014' में निर्धारित है।

6. भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में परीक्षा प्राधिकरण, परीक्षाओं के लिए नियत तारीखों से कम से कम छह सप्ताह पूर्व ऐसी परीक्षाओं की समय-सारणी सचिव, भारतीय भेषजी परिषद् को संसूचित करेगा जिससे कि परिषद् परीक्षाओं के निरीक्षण की व्यवस्था कर सके।

7. परीक्षा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि एम.फार्म. कार्यक्रम की परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षक ऐसे व्यक्ति हों जिनके पास भेषजी अर्हता है तथा वे वास्तव में किसी अनुमोदित संस्था में एम.फार्म. कार्यक्रम के शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं।

परिशिष्ट-ग

(विनियम 19.ग देखिए)

स्नातकोत्तर परीक्षा

स्नातकोत्तर परीक्षकों की नियुक्ति के विषय में दिशा निर्देश

1. कोई व्यक्ति किसी भी विषय में तब तक परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा निर्धारित की गई स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में मान्यता की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा न करे और उसे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् प्राध्यापक/सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष का न्यूनतम शिक्षण अनुभव न हो।

2. परीक्षा में हर विषय में कम से कम दो परीक्षक होंगे जिसमें से एक बाहरी परीक्षक होगा। बाहरी परीक्षक जो उपर्युक्त खंड-1 में अधिकथित शर्त को पूरा करेगा, साधारणतः राज्य के बाहर से एक अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आमंत्रित किया जाएगा।

3. बाहरी परीक्षक साधारणतया लगातार तीन वर्ष से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। तत्पश्चात, दो वर्ष के अंतराल के बाद उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।

4. किसी विषय में आंतरिक परीक्षक ऐसे महाविद्यालय के बाहरी परीक्षक का कार्य स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसके विषय में बाहरी परीक्षक नियुक्त किया गया है।

5. प्रश्न पत्र बनाने वाले बोर्ड का एक सभापति होगा जो बाहरी परीक्षक होगा और प्रश्नपत्रों का अनुशोधन करेगा।

6. जहाँ एक से अधिक परीक्षा केन्द्र हों वहां एक समन्वयक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह स्वतंत्र प्राधिकार के साथ विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा का पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा।

परिशिष्ट-घ

(विनियम 20.2 देखिए)

शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

1. भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन एम.फार्म. के अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए भारतीय भेषजी परिषद् से आवेदन करने वाला कोई प्राधिकरण या संस्थान भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अनुपालन करेगा।

2. एम.फार्म. कार्यक्रम अब से केवल उन संस्थानों में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात होगा जो बी.फार्म. पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित है जैसा कि भेषजी अधिनियम 1948 की धारा 12 में उपबंधित है।

3. **शिक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता –**

i) कर्मचारियों का पैटर्न : सम्पूर्ण फैकल्टी पूर्णकालिक होगी

ii) शिक्षण कर्मचारीगण : (अनन्यतः एम.फार्म. पाठ्यक्रम चलाने के लिए)

विभाग/प्रभाग	**पदनाम**	**संख्या**
फार्मास्युटिक्स विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्माकोलोजी विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्माकागनोसी विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्मेसी प्रैक्टिस विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
इन्डस्ट्रियल फार्मेसी विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्मास्युटिकल टैकनोलॉजी विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्मास्युटिकल एनालीसिस विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्मास्युटिकल क्वालिटी एस्योरेन्स विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
रेग्युलेटरी अफेयर्स विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फार्मास्युटिकल बायोटैकनोलॉजी विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2
फाइटो फार्मेसी एवं फाइटोमेडिसिन विभाग	प्रोफेसर/सह प्रोफेसर	1
	सहायक प्रोफेसर	2
	प्राध्यापक	2

iii) प्रति विभाग, एम.फार्म. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए, बी.फार्म. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शिक्षकों के अतिरिक्त, अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारीवृंद निम्न प्रकार के होंगे –

1. सह प्रोफेसर - 2

2. सहायक प्रोफेसर/प्राध्यापक - 2

iv) संकाय (फैकल्टी) का कार्यभार :

प्रोफेसर - प्रति सप्ताह 8 घण्टे

सहायक प्रोफेसर - प्रति सप्ताह 12 घण्टे

प्राध्यापक - प्रति सप्ताह 16 घण्टे

v) एम.फार्म. (भेषजी व्यवसाय) के लिए भेषजी व्यवसाय शिक्षकों का प्रशिक्षण :

क) शिक्षकों को भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।

ख) प्रशिक्षण की अवधि - न्यूनतम 3 मास

ग) प्रशिक्षण स्थल - वे संस्थान जो कम से कम पांच वर्ष से भेषजी व्यवसाय कार्यक्रम चला रहे हैं।

घ) प्रशिक्षक - प्रोफेसर/सह प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर जिसे क्लिनिकल भेषजी शिक्षण और व्यवसाय का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

4. गैर-शिक्षण कर्मचारी :

क्रमांक	पदनाम	आवश्यकता (न्यूनतम)	अपेक्षित अर्हता
1	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रतिविभाग - 1	डी.फार्म.
2	प्रयोगशाला सहायक या प्रयोगशाला परिचर	प्रति प्रयोगशाला - 1 (न्यूनतम)	एस.एस.एल.सी.
3	कार्यालय अधीक्षक	1	डिग्री
4	लेखापाल	1	डिग्री
5	भंडारी	1	डी.फार्म. या स्नातक डिग्री
6	कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर	1	बी.सी.ए. या कंप्यूटर पाठ्यक्रम युक्त स्नातक
7	कार्यालय कर्मचारीवृंद-1	1	डिग्री
8	कार्यालय कर्मचारीवृंद-2	2	डिग्री
9	चपरासी	2	एस.एस.एल.सी.
10	सफाई कार्मिक	पर्याप्त	-
11	माली	पर्याप्त	-

5. आवास

कक्षा कक्ष

क्रमांक	पाठ्यक्रम	कक्षा कक्ष	न्यूनतम क्षेत्रफल	प्रवेश	अभ्युक्ति
1	बी.फार्म.	04	75 वर्ग मीटर 90 वर्ग मीटर (वांछनीय)	60	
2	एम.फार्म.	02 प्रति विशेषज्ञता	36 वर्ग मीटर	15	

पुस्तकालय

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पदनाम	अर्हता	संख्या	अभ्युक्ति
1	बी.फार्म. और एम.फार्म.	पुस्तकालय अध्यक्ष	एम. लिब.	1	
		सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष	डी. लिब.	1	
		पुस्तकालय परिचर	10+2/पी.यू.सी.	2	

प्रयोगशालाएं

क्रमांक	पाठ्यक्रम	प्रयोगशालाएं	न्यूनतम क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
1	बी.फार्म.	फार्मास्युटिक्स फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री फार्मास्युटिकल एनालिसिस फार्माकोलॉजी फार्माकोगनोसी फार्मास्युटिकल बायोटैकनोलॉजी (आस्पेटिक्स कक्ष सहित)	75 वर्ग मीटर 90 वर्ग मीटर (वांछनीय)	प्रति प्रयोगशाला न्यूनतम 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का तैयारी कक्ष (यदि वह दो प्रयोगशालाओं के मध्य में है तो एक कक्ष को दो प्रयोगशालाएं साझा कर सकती हैं
2	एम. फार्म.	प्रति विशेषज्ञता 02	75 वर्ग मीटर	प्रति प्रयोगशाला न्यूनतम 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का तैयारी कक्ष
3	बी.फार्म. और एम. फार्म.	मशीन कक्ष का क्षेत्रफल	80-100 वर्ग मीटर	
4		केन्द्रीय शल्यकर्म कक्ष	80 वर्ग मीटर	एअर कंडीशन की सुविधा युक्त
5		भंडार कक्ष-1	100 वर्ग मीटर	
6		भंडार कक्ष-2	20 वर्ग मीटर	

1. सब प्रयोगशालाओं में पर्याप्त प्रकाश और संवातन हो
2. सब प्रयोगशालाओं में बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं हों जैसे एक्जास्ट पंखे और फ्यूम चैम्बर, जहां कहीं प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक हो।
3. कार्यबेंच चिकने और आसानी से साफ करने लायक हों अधिमानतः वे अनावशोषी सामग्री के हों।
4. पानी के नलों से पानी न टपके और वे सीधे सिंक पर लगाये गए हों। नाली सुप्रवाही हो।
5. तुला कक्ष संबंधित प्रयोगशालाओं से संबंद्ध हो।

प्रशासनिक क्षेत्र

क्रमांक	पाठ्यक्रम	प्रयोगशालाएं	न्यूनतम क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
1	बी.फार्म. और एम. फार्म.	प्रधानाचार्य का कक्ष	75 वर्ग मीटर 90 वर्ग मीटर (वांछनीय)	
2	बी.फार्म. और एम. फार्म.	कार्यालय-1 स्थापना	75 वर्ग मीटर	
3	बी.फार्म. और एम. फार्म.	कार्यालय-2 विद्याविद्	80 वर्ग मीटर	
4	बी.फार्म. और एम. फार्म.	गोपनीय कक्ष	80 वर्ग मीटर	
5	बी.फार्म. और एम. फार्म.	भंडार कक्ष-1	100 वर्ग मीटर	
6	बी.फार्म. और एम. फार्म.	भंडार कक्ष-2	20 वर्ग मीटर	
7	बी.फार्म. और एम. फार्म.	विभागाध्यक्ष कक्ष	20 वर्ग मीटर प्रति संकाय	
8	बी.फार्म. और एम. फार्म.	संकाय कक्ष	10 वर्ग मीटर प्रति संकाय	

सुविधाएं

क्रमांक	पाठ्यक्रम	विवरण	न्यूनतम क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
1	बी.फार्म. और एम. फार्म.	बालिका सामूहिक कक्ष (अनिवार्य)	20 वर्ग मीटर	
2		बालक सामूहिक कक्ष	10 वर्ग मीटर	
3		बालक शौचालय खंड		
4		बालिका शौचालय खंड		
5		पेयजल सुविधा-वाटर कूलर		
6		बालक छात्रावास (वांछनीय)		
7		बालिका छात्रावास (वांछनीय)		
8		पावर बैक अप व्यवस्था		

6. अन्य सुविधाएं

क्रमांक	पाठ्यक्रम	विवरण	न्यूनतम क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
1	बी.फार्म. और एम. फार्म.	पशुशाला	80 वर्ग मीटर	
2	बी.फार्म. और एम. फार्म.	पुस्तकालय	150 वर्ग मीटर	
3	बी.फार्म. और एम. फार्म.	संग्रहालय	50 वर्ग मीटर	
4	बी.फार्म. और एम. फार्म.	सभागार/बहुउद्देश्यीय हाल (वांछनीय)		250-300 सीटों की क्षमता
5	बी.फार्म. और एम. फार्म.	संगोष्ठी कक्ष		
6	बी.फार्म. और एम. फार्म.	जड़ी बूटी उद्यान		
7	बी.फार्म.	कंप्यूटर (नवीनतम आकृति)	हर 10 छात्रों के लिए 1 सिस्टम	इंटरनेट ब्राउज़िंग सुविधा युक्त
8	बी.फार्म.	मुद्रक	हर 10 सिस्टम के लिए एक मुद्रक	
9	बी.फार्म.	बहु मीडिया प्रोजेक्टर	01	
10	एम.फार्म.	कंप्यूटर (नवीनतम आकृति)	हर 6 छात्रों के लिए 1 सिस्टम	इंटरनेट ब्राउज़िंग सुविधा युक्त
		मुद्रक	हर 6 सिस्टम के लिए 1 मुद्रक	
11	एम.फार्म.	बहु मीडिया प्रोजेक्टर	01	प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए
12	बी.फार्म. और एम. फार्म.	जेनेरेटर 5 कि. वा.	01	
13	बी.फार्म.	बहु मीडिया प्रोजेक्टर	01	प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए

7. पुस्तकालय सुविधाएं

क्रमांक	पाठ्यक्रम	मद	न्यूनतम क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
1	बी.फार्म. और एम. फार्म.	पुस्तकें	150	1500 भेषजी के सभी विषयों में अनेकों मानक पाठ्य पुस्तकों और शीषकों का समुचित कवरेज
2	वार्षिक संस्करण	पुस्तकें	150 वर्ग मीटर	
3	बी.फार्म. और एम. फार्म.	पत्र-पत्रिकाओं की प्रतियां/आन लाइन	10 राष्ट्रीय 05 अंतर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाएं	
		सी.डी.	समुचित संख्या	
4	बी.फार्म. और एम. फार्म.	रेप्रोग्रेफिक सुविधाएं: फोटो कोपियर स्केनर	 01 01	
5	एम.फार्म.	बहु-मीडिया प्रोजेक्टर	01	हर विशेषज्ञता के लिए
6	बी.फार्म. और एम. फार्म.	जेनेरेटर (5 कि.वाट)	01	

परिशिष्ट-ड.

(विनियम 22 देखिए)

उपस्कर और उपकरण

विभिन्न विभागों के लिए अपेक्षित उपस्करों और उपकरणों का विवरण वही होगा जो भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगा।

अर्चना मुद्गल, निबन्धक-एवं-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./101/14]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

The Master of Pharmacy (M.Pharm) Course Regulations, 2014

No. 14-136/ 2014-PCI.—In exercise of the powers conferred by Sections 10 and 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations; namely–

Chapter - I

1. Short Title and Commencement

1. These regulations may be called the Master of Pharmacy (M.Pharm) Course Regulations 2014.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. Master of Pharmacy (M.Pharm) shall consist of a certificate, of having passed the course of study and examination as prescribed in these regulations, for the purpose of registration/addition of qualification as a pharmacist for practicing the profession under the Pharmacy Act, 1948.

2. Duration of the course

a) The duration of the M.Pharm course shall be of two academic years full time with each academic year spread over a period of not less than two hundred working days.

b) The study of M.Pharm course shall be of annual system which includes M.Pharm (Part-I) extending for 12 months from the commencement of the academic term and M.Pharm (Part-II) of another 12 months duration.

c) At the end of M.Pharm (Part-I) there shall be a university examination of M.Pharm (Part-I). At the end of M.Pharm (Part-II) the candidate shall submit a dissertation on the topic approved by the university.

Chapter - II

3. Minimum qualification for admission to M.Pharm (Part-I) programme

A pass in the following examinations -

a) B.Pharm degree examination of an Indian University established by law in India from an institution approved by Pharmacy Council of India and has scored not less than 55% of the maximum marks (aggregate of four years of B.Pharm).

Provided that –

a) there shall be reservation of seats for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions issued by the Central Government/State Government/Union Territory Administration, as the case may be, from time to time.

b) For SC/ST candidates the prescribed percentage of marks will be 50% of the maximum marks (aggregate of four years of B.Pharm).

c) Every student, selected for admission to postgraduate pharmacy course in any of the pharmacy institution in the country should have obtained Registration with the State Pharmacy Council or should obtain the same within one month from the date of his admission, failing which the admission of the candidate shall be cancelled.

4. Approval of Post Graduate Pharmacy courses and examination.

4.1 a) No person, institution, society or university shall start and conduct M.Pharm programme or increase number of admissions without the prior approval of the Pharmacy Council of India.

b) Any person, institution, society or university for the purpose of obtaining approval under sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act shall submit a scheme.

c) The scheme referred to in sub-regulation (b) above, shall be in such form and contain such particulars and be preferred in such manner and be accompanied with such fee as may be prescribed by the Pharmacy Council of India.

d) The approval to a Post Graduate Course shall be granted initially for a specified period not exceeding 5 year, after which it shall have to be renewed.

e) The procedure for 'Renewal' of approval shall be same as applicable for the grant of approval.

f) Failure to seek timely renewal of approval as required in sub-regulation-4(d) shall invariably result in stoppage of admissions to the concerned Post Graduate course.

4.2 **Eligibility for conducting Post Graduate Courses -**

a) The institutions approved by the Pharmacy Council of India for running Bachelor of Pharmacy course under section 12 or institutions established by the Central Government/State Govt. for the purpose of imparting postgraduate pharmacy education shall be eligible for starting any postgraduate degree course.

Provided that the Pharmacy Council of India shall exempt any such existing/proposed specialist institution or autonomous body owned and managed by the Central Government/State Government from fulfilling the prescribed provision of having an undergraduate teaching facility and allow starting Postgraduate pharmacy course.

b) The institutions approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act for running Undergraduate course, prior to the implementation of these regulations and conducting Post Graduate programmes in Pharmacy (M.Pharm.) or institutions established by the Central Government/State Govt. for the purpose of imparting postgraduate Pharmacy education shall within one year from the date of notification of these regulations apply to the Pharmacy Council of India as mentioned in sub-regulation '4.1(b)' above.

c) The maximum number of students for a postgraduate pharmacy course, who can be registered in any recognised department / institution for training for the award of postgraduate degree by the affiliating university, shall be determined by the facilities available in the department/ institution in terms of infrastructure, teaching staff and teaching material.

Provided that the Pharmacy Council of India shall not approve any institution under these regulations unless it provides adequate arrangements for teaching in regard to building, accommodation, laboratories, equipments, teaching staff, non-teaching staff, etc., as specified in to these regulations.

5. GENERAL CONDITIONS TO BE OBSERVED BY POSTGRADUATE TEACHING INSTITUTIONS:

i. Postgraduate curriculum shall be competency based.

ii. Learning in postgraduate programme shall be essentially autonomous and self directed.

iii. A combination of both formative and summative assessment is vital for the successful completion of the PG programme.

iv. A modular approach to the course curriculum is essential for achieving a systematic exposure to the various sub-specialities concerned with a discipline.

v. The training of PG students shall involve learning experience 'derived from' or 'targeted to' the needs of the profession and community. It shall, therefore, be necessary to expose the students to profession and community based activities.

6. GOALS AND GENERAL OBJECTIVES OF POSTGRADUATE PHARMACY EDUCATION PROGRAMME TO BE OBSERVED BY POSTGRADUATE TEACHING INSTITUTION

6.1 GOAL

The goal of postgraduate pharmacy education shall be to produce professionally competent specialists and/or pharmacy teachers be who shall –

i. recognize the professional needs of the profession and community and carry out professional obligations ethically and in keeping with the objectives of the National Health Policy / National Drug Policy;

ii. have mastered most of the competencies pertaining to the speciality that are required to be practiced in the various facets of pharmacy profession;

iii. be aware of the contemporary advances and developments in the discipline concerned;

iv. have acquired a spirit of scientific inquiry and is oriented to the principles of research methodology; and

v. have acquired the basic skills in teaching of the pharmacy and other health professionals;

6.2 GENERAL OBJECTIVES OF POST-GRADUATE TRAINING EXPECTED FROM STUDENTS AT THE END OF POST-GRADUATE TRAINING

At the end of the postgraduate training in the discipline concerned the student shall be able to;

i. recognize the importance to the concerned speciality in the context of the professional needs of the community and the national priorities in the health and pharmacy sector;

ii. practice the profession ethically;

iii. demonstrate sufficient understanding of the basic sciences relevant to the concerned speciality;

iv. identify social, economic, environmental, biological and emotional determinants of health / pharmacy sector in a given case, and take them into account while planning professional strategies;

v. play the assigned role in the implementation of National Health Policy, National Drug Policy etc. effectively and responsibly;

vi. develop skills as a self-directed learner, recognize continuing education needs, select and use appropriate learning resources;

vii. demonstrate competence in basic concepts of research methodology and be able to critically analyze relevant published research literature;

viii. develop skills in using educational methods and techniques as applicable to the teaching of pharmacy students and other health professional workers; and

ix. function as an effective leader of a health team engaged in health care, research or training.

7. STATEMENT OF THE COMPETENCIES :

Keeping in view the general objectives of postgraduate training, each discipline shall aim at development of specific competencies which shall be defined and spelt out in clear terms. Each department shall produce a statement and bring it to the notice of the trainees in the beginning of the programme so that he can direct the efforts towards the attainment of these competencies.

8. COMPONENTS OF THE POSTGRADUATE CURRICULUM :

The major components of the postgraduate curriculum shall be:

- Theoretical knowledge.
- Practical /clinical skills.
- Thesis skills.
- Attitudes including communication skills.
- Training in research methodology.

The students undergoing postgraduate courses shall be exposed to the following:-

- Basics of statistics to understand and critically evaluate published research paper.
- Lectures or other type of exposure to human behavior studies.
- Basic understanding of pharmaco-economics.
- Introduction to the non-linear mathematics.

9. NOMENCLATURE OF POSTGRADUATE COURSES.

The nomenclature of postgraduate pharmacy courses shall be as provided in the **Appendix-A** to these Regulations.

Provided that in the case of postgraduate pharmacy degree course(s) started prior to the commencement of these Regulations and which have not been included in these regulations, the institutions concerned shall continue such course(s) till the students admitted complete the said course(s).

10. Syllabus. –

The syllabus for each subject of study shall as may be prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.

11. SELECTION OF POSTGRADUATE STUDENTS.

1. Students for postgraduate pharmacy courses shall be selected strictly on the basis of their academic merit.
2. For determining the academic merit, the university/institution may adopt any one of the following Procedures:—
   i. On the basis of merit as determined by the competitive test conducted by the State Government or by the competent authority appointed by the State Government or by the university/group of universities in the same state; or
   ii. On the basis of merit as determined by a centralized competitive test held at the national level; or
   iii. On the basis of the individual cumulative performance at the first, second, third and final B.Pharm examination, if such examination have been passed from the same university; or
   iv. Combination of (i) and (iii):

Provided that wherever entrance test for postgraduate admission is held by the State Government or a university or any other authorized examining body, the minimum percentage of marks for eligibility for admission to postgraduate pharmacy courses shall be 55 per cent for general category candidates and 50 per cent for the candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes.

12. Migration/transfer of postgraduate student from one pharmacy college or institution to another.

Migration/transfer of students undergoing any postgraduate degree course shall not be permitted by any university or any authority and shall be governed by the policy of the Pharmacy Council of India in this regard.

13. Examination

The examination for M.Pharm shall be held in accordance with the provisions contained in these regulations. The examinations shall be organised on the basis of grading or marking system to evaluate and certify candidate's level of knowledge, skill and competence at the end of the training.

a) <u>For M.Pharm (Part-I)</u>

i) There shall be an examination for M.Pharm (Part-I) at the end of calendar year. The first examination shall be the annual examination and the second examination shall be supplementary examination.

ii) The examinations shall be of written and practical (including oral).

b) For M.Pharm (Part-II)

For M.Pharm (Part-II) the examination shall be an evaluation of dissertation and viva voce at the end of 12 months (one year) after the commencement of M.Pharm (Part-II) course.

13.1 Eligibility for appearing at Examination. –

a) Only such students who produce certificate from the Head of the Institution in which he has undergone the M.Pharm (Part-I), in proof of his having regularly and satisfactorily undergone the course of study by attending not less than 80% of the classes held both in theory and in practical separately in each subject shall be eligible for appearing at examination. Similarly a candidate who has put in a minimum of 80% of attendance in M.Pharm (Part–II) shall only be eligible to submit the dissertation.

b) A student pursuing M.Pharm programme shall study in the concerned department of the institution for the entire period as a full time student. The student is not permitted to work in any laboratory/college/industry/pharmacy etc., while studying M.Pharm Programme except as a part of training programme.

c) Each academic session shall be taken as a unit for the purpose of calculating attendance.

d) Every student shall attend symposia, seminars, conferences, journal review meetings and lectures during each year as prescribed by the department/college/university and not absent himself without prior permission.

e) Any student who fails to complete the course in the manner stated above shall not be permitted to appear for the University examinations.

13.2. Scheme of Examinations –

a) Mode of Examination

i) Theory examination shall be of three hours and practical examination shall be of six hours duration.

ii) A student who fails in theory or practical examination of a subject shall re-appear both in theory and practical of the same subject.

iii) Practical examination shall also consist of a viva –voce (Oral) examination.

iv) The maximum number of candidates to be examined in clinical / practical and Oral on any day shall not exceed fifteen for M.Pharm examinations.

v) M.Pharm examinations, in any subject shall consist of Thesis, Theory Papers, and Practical and Oral examinations.

b) Sessional Examinations

i) There shall be atleast two periodic sessional examinations in each subject of specialization conducted at regular intervals at the end of the first term and second term respectively both in theory and in practical which include seminars.

ii) The highest aggregate of any two performances shall form the basis of calculating sessional marks.

iii) The sessional marks shall be awarded out of a maximum of 50 in theory and practical as follows:

Theory

Written Test	:	30 marks (average of two)
Seminar	:	20 marks
Total	:	50 marks

Practicals

Practicals Test	:	30 marks (average of two)
Lab.Work (Record)	:	20 marks
Total	:	50 marks

iv) A regular record of both theory and practical class work and examinations conducted in an institution imparting training for M.Pharm Programme shall be maintained.

c) Improvement of sessional marks -

Students who wish to improve sessional marks can do so, by appearing in two additional sessional examinations during the next academic year. The average score of the two examinations shall be the basis

for improved sessional marks in theory. The sessional marks of practicals shall be improved by appearing in additional practical examinations. Marks awarded to a student for day to day assessment in the practical class cannot be improved unless he attends a regular course of study again.

d) <u>University Examination M.Pharm (Part- I)</u>

(i) There shall be two university examinations annually (Annual & Supplementary).

(ii) Each theory paper shall be of 3 hours duration carrying 100 marks each.

(iii) Each practical paper shall be of 6 hours duration carrying 100 marks each.

<u>Theory</u>

(i) There shall be four theory papers.

(ii) The theory examinations shall be held sufficiently earlier than the Practical examination so that the answer books can be assessed and evaluated before the start of Practical and Oral examination.

<u>Practical and Oral Examination</u>

(i) Practical examination shall be conducted to test the knowledge and competence of the candidates for making valid and relevant observations based on the experimental/Laboratory studies and his ability to perform such studies as are relevant to his subject.

(ii) The Oral examination shall be thorough and shall aim at assessing the candidates knowledge and competence about the subject, investigative procedures, technique and other aspects of the speciality, which form a part of the examination.

14. Thesis

1. Every candidate shall carry out work on an assigned research project under the guidance of a recognised Postgraduate Teacher, the result of which shall be written up and submitted in the form of a Thesis.
2. Work for writing the Thesis is aimed at contributing to the development of a spirit of enquiry, besides exposing the candidate to the techniques of research, critical analysis, acquaintance with the latest advances in medical science and the manner of identifying and consulting available literature. Thesis shall be submitted at least two months before the theoretical and practical examination.
3. The Thesis shall be examined by a minimum of two examiners; one internal and one external examiner.

15. Minimum marks for passing examination

(i) A student shall not be declared to have passed M.Pharm examination unless he secures at least 50% marks in each of the subject separately in the theory examinations, including sessional marks and at least 50% marks in each of the practical examinations including sessional marks.

(ii) The students securing 60% marks or above in aggregate in all subjects in a single attempt at the M.Pharm examination shall be declared to have passed in first class.

(iii) Students securing 75% marks or above in any subject or subjects shall be declared to have passed with distinction in the subject or those subjects provided he passes in all the subjects in a single attempt.

16. Eligibility for promotion to M.Pharm (Part-II)

(i) All students who have appeared for all the subjects and passed the first year annual examination are eligible for promotion to the second year.

(ii) The student failing in subjects of M.Pharm (Part-I) examination shall be permitted to register for M.Pharm (Part-II) programme. However, such students shall not be permitted to submit the dissertation unless he completes the M.Pharm (Part-I) examination and passes both in theory and practical at a time together.

17. Approval of examinations. – Examinations mentioned in regulations 10 shall be held by the examining authority which shall be approved by the Pharmacy Council of India under sub-section (2) of Section 12 of the Pharmacy Act, 1948. Such approval shall be granted only if the examining authority concerned fulfills the conditions as specified in **Appendix–B** to these regulations.

18. Certificate of passing examination. – Every student who has passed the examinations for the M.Pharm (Master of Pharmacy) programme shall be granted a degree certificate by the Examining Authority.

19. Examiners

(a) All the Postgraduate Examiners shall be recognised Postgraduate Teachers holding postgraduate qualifications in the subject concerned.

(b) For all Postgraduate Examinations, the minimum number of examiners shall be two, out of which at least one shall be External Examiner, who shall be invited from other recognised Examining Authority from outside the Jurisdiction of the Examining Authority.

(c) The examining authorities may follow the guidelines regarding appointment of examiners given in **Appendix-C.**

20. Institutional Departmental Training Facilities:-

An institution/department having the prescribed minimum strength of faculty and other facilities shall be recognized for the conduct of Postgraduate course.

20.1 Staff – Faculty

(a) A department training candidates for a postgraduate course, shall have a minimum of five full time faculty members belonging to the concerned disciplines of whom one shall be a Professor/Asst. Prof., two Assistant Professors and two Lecturers, possessing the qualification and experience prescribed in the "Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014".

Provided that the second or subsequent postgraduate courses to be conducted in the same department shall have additional faculty consisting of at least one Professor and Asst. Professor in the concerned specialization.

(b) Only those teachers who possess at least five years teaching experience after passing M.Pharm/ Pharm.D course or three years teaching experience after Ph.D shall be recognized by the Pharmacy Council India as post graduate pharmacy teachers.

20.2 Minimum requirements for a Postgraduate Institution:

(a) An institution conducting both undergraduate and postgraduate teaching shall satisfy the minimum requirement for undergraduate training as prescribed by the Pharmacy Council of India and shall also fulfill additional requirements for postgraduate training depending on the type of work being carried out in the department. The teaching, non-teaching staff, accommodation, laboratory, library facilities required to be provided in various departments shall be as given in **Appendix-D.**

(b) A Department imparting only postgraduate training shall:-

(i) provide facilities consistent with the all round training including training for undergraduate programmes and other departments related to the subject of training as recommended by the Pharmacy Council of India.

(ii) make available facilities of ancillary department for coordination of training.

20.3 Bed Strength in Clinical Departments

A department to be recognised for training of postgraduate students in Pharmacy Practice shall provide adequate clinical training facilities in a hospital.

The details of the facilities required include the following:

1. **Hospital Posting—** every student shall be posted in constituent hospital for a period of not less than fifty hours to be covered in not less than 200 working days in each year of the course. Each student shall submit report duly certified by the preceptor and duly attested by the Head of the Department or Institution as prescribed. In the second year, every student shall spend half a day in the morning hours attending ward rounds on daily basis as a part of their dissertation/Thesis work.

2. **Hospital Details-** The institution intending to impart M.Pharm in Pharmacy Practise shall have

(i) Their own hospital of minimum 300 beds.

OR

Tie up with a teaching hospital recognised by the Medical Council of India or University, or a Government hospital not below the level of district headquarter hospital with 300 beds with clearly defined Memorandum of Understanding including housing pharmacy practice department with minimum carpet area of 30 square feet per student along with consent to provide the professional manpower to support the programme.

OR

Tie up with a Corporate type hospital with minimum 300 beds with clearly defined Memorandum of Understanding including housing pharmacy practice department with minimum carpet area of

30 square feet per student along with consent to provide the professional manpower to support the programme.

(ii) Number of institutions which can be attached to one hospital shall be restricted to one and also by the student pharmacist to bed ratio of 1:10.

21. Speciality

(a) Tertiary care hospitals are desirable

(b) Medicine [compulsory], and any three specialization of the following:—

1. Surgery
2. Pediatrics
3. Gynecology and Obstetrics
4. Psychiatry
5. Skin and VD
6. Orthopedics

Location of the Hospital

Within the same limits of Corporation or Municipality or within reasonable distance or Campus with Medical Faculty involvement as adjunct faculty.

22. Equipment

The department shall have adequate number of equipments and apparatus as given in **Appendix-E.**

23. Number of Postgraduate Students to be admitted.

(1) The ratio of recognised Postgraduate teacher to number of students to be admitted for the Postgraduate degree course shall be 1:3 to the extent that in no circumstances more than 15 students for Postgraduate degree shall be registered in a department / specialization in one academic year.

(2) Provided that no postgraduate seats left unfilled in an academic year, shall be carried forward to the next or subsequent academic year.

24. Training Programme

24.1 The training given with due care to the postgraduate students in the recognized institutions for the award of various postgraduate pharmacy degrees shall determine the expertise of the specialist and/or pharmacy teachers produced as a result of the educational programme during the period of stay in the institution.

24.2 Every institution undertaking postgraduate training programme shall set up an Academic Cell or a Curriculum Committee under the chairmanship of a senior faculty member which shall work out the details of the training programme in each speciality in consultation with other department faculty staff and also coordinate and monitor the implementation of these training programmes.

24.3 The training programmes shall be updated as and when required. The structured training programme shall be written up and strictly followed to enable the examiners to determine the training undergone by the candidates and the Pharmacy Council of India inspectors to assess the same at the time of inspection.

24.4 Postgraduate students shall maintain a record (log) book of the work carried out by them and the training programme undergone during the period of training including practicals, assignments and other training provided. The record books shall be checked and assessed by the faculty members imparting the training.

24.5 During the training for Postgraduate Degree to be awarded in clinical disciplines (Pharmacy Practice), there shall be proper training in medical sciences related to the disciplines concerned. In all postgraduate training programmes, emphasis is to be laid on the specialized skills and knowledge required to practice each of the said discipline.

24.6 Implementation of the training programmes for the award of various postgraduate degrees shall include lectures, seminars, journal clubs, group discussions, participation in laboratory and experimental work and involvement in research studies in the concerned speciality and exposure to the applied aspects of the subject relevant to the specialities.

Appendix-A

(See Regulation No.9)

Specialties/Subjects in which Postgraduate Degree in Pharmacy can be awarded by the Indian Universities –

1. Pharmaceutics
2. Industrial Pharmacy
3. Pharmaceutical Technology
4. Pharmaceutical Chemistry
5. Pharmaceutical Analysis
6. Pharmaceutical Quality Assurance
7. Regulatory Affairs
8. Pharmaceutical Biotechnology
9. Pharmacy Practice
10. Pharmacology
11. Pharmacognosy
12. Phytopharmacy & Phytomedicine
13. Any other specialty as may be prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.

APPENDIX-B

(See regulation 17)

CONDITIONS TO BE FULFILLED BY

THE EXAMINING AUTHORITY

1. The Examining Authority shall be a Indian University constituted by the Central Government/State Government/Union Territory Administration or Deemed to be University. It shall ensure that discipline and decorum of the examinations are strictly observed at the examination centers.
2. It shall permit the Inspector or Inspectors of the Pharmacy Council of India to visit and inspect the examinations.
3. It shall provide:-
   (a) adequate rooms with necessary furniture for holding written examinations;
   (b) well-equipped laboratories for holding practical examinations;
   (c) an adequate number of qualified and responsible examiners and staff to conduct and invigilate the examinations; and
   (d) such other facilities as may be necessary for efficient and proper conduct of examinations.
4. It shall, if so required by a candidate, furnish the statement of marks secured by a candidate in the examinations after payment of prescribed fee, if any, to the Examining Authority.
5. It shall appoint examiners whose qualifications should be similar to those of the teachers in the respective subjects as prescribed in the Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014.
6. In pursuance of sub–section (3) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948, the Examining Authority shall communicate to the Secretary, Pharmacy Council of India, not less than six weeks in advance the dates fixed for examinations, the time-table for such examinations, so as to enable the Council to arrange for inspection of the examinations.
7. The Examining Authority shall ensure that examiners for conducting examination for M.Pharm programme shall be persons possessing pharmacy qualification and are actually involved in the teaching of the M.Pharm programme in an approved institution.

APPENDIX-C

(See Regulation – 19.C)

POSTGRADUATE EXAMINATION

GUIDELINES ON APPOINTMENT OF POSTGRADUATE EXAMINERS

1. No person shall be appointed as an examiner in any subject unless he fulfills the minimum requirements for recognition as a Postgraduate teacher as laid down by the Pharmacy Council of India and has minimum teaching experience of 5 (Five) years as a Lecturer / Assistant Professor after obtaining postgraduate degree.
2. There shall be at least two examiners in each subject at an examination out of which one shall be external examiner. The external examiner who fulfils the condition laid down in clause – 1 above shall ordinarily be invited from another recognised university, from outside the State.
3. An external examiner may be ordinarily appointed for not more than three years consecutively. Thereafter he may be reappointed after an interval of two years.
4. The internal examiner in a subject shall not accept external examinership for a college from which external examiner is appointed in his subject.
5. There shall be a Chairman of the Board of paper – setters who shall be an external examiner and shall moderate the question papers.
6. Where there is more than one centre of examination, there shall be Co-ordinator appointed by the University who shall supervise and co-ordinate the examination on behalf of the University with independent authority.

APPENDIX-D

(See regulation 20.2)

CONDITIONS TO BE FULFILLED BY THE ACADEMIC TRAINING INSTITUTION

1) Any authority or institution in India applying to the Pharmacy Council of India for approval of courses of study for M.Pharm under sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 shall comply with the infrastructural facilities as prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.

2) M.Pharm programme shall henceforth be permitted to conduct only in those institutions which are approved by the Pharmacy Council of India for B.Pharm course as provided under section 12 of the Pharmacy Act, 1948.

3) Teaching Staff requirement-

i) Staff Pattern: All faculty shall be full time.

ii) Teaching Staff : (Exclusively for running M.Pharm courses)

Department/Division	Name of the post	No.
Department of Pharmaceutics	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Pharmaceutical Chemistry	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Pharmacology	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Pharmacognosy	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Pharmacy Practice	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Industrial Pharmacy	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Pharmaceutical Technology	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Pharmaceutical Analysis	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2

Pharmaceutical Quality Assurance	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Regulatory Affairs	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Pharmaceutical Biotechnology	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2
Department of Phytopharmacy & Phytomedicine	Professor/Asso. Prof.	1
	Asst. Professor	2
	Lecturer	2

iii) Additional staff required, in addition to teaching faculty prescribed for B.Pharm course for conducting M.Pharm courses per department shall be as under: -

1. Asso. Professor - 2
2. Asstt. Prof/Lecturer - 2

iv) Workload of Faculty :

Professor – 8 hrs. per week

Assistant Professor – 12 hrs. per week

Lecturers – 16 hrs. per week

v) Training of Pharmacy Practice Faculty for M.Pharm (Pharmacy Practice):

a) Teaching staff will be trained as per the module prescribed by the Pharmacy Council of India.

b) Duration of training – Minimum 3 months.

c) Training sites – Institutions running pharmacy practice Programmes for atleast five years.

d) Trainer – Professor/Associate Professor or Assistant Professor with minimum of five years of clinical pharmacy teaching and practice experience.

4) NON-TEACHING STAFF:

Sl.No.	Designation	Required (Minimum)	Required Qualification
1	Laboratory Technician	1 for each Dept	D. Pharm
2	Laboratory Assistants or Laboratory Attenders	1 for each Lab (minimum)	SSLC
3	Office Superintendent	1	Degree
4	Accountant	1	Degree
5	Store keeper	1	D.Pharm or a Bachelor degree.
6	Computer Data Operator	1	BCA or Graduate with Computer Course
7	Office Staff I	1	Degree
8	Office Staff II	2	Degree
9	Peon	2	SSLC
10	Cleaning personnel	Adequate	---
11	Gardener	Adequate	---

5) ACCOMMODATION

Class Rooms

S.No	Course	Class Room	Minimum Area	Intake	Remark
1	B.Pharm	04	75 Sq.Mt 90Sq.mt (desirable)	60	
2	M.Pharm	02 per specialization	36 Sq.Mt	15	

Library

S.No	Courses	Designation	Qualification	No	Remarks
1	B.Pharm & M.Pharm	Librarian	M. Lib	1	
		Assistant Librarian	D. Lib	1	
		Library Attendent	10 +2 / PUC	2	

Laboratories

Sl.No	Course	Laboratories	Minimum Area	Remark
1	B.Pharm	Pharmaceutics Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Analysis Pharmacology Pharmacognosy Pharmaceutical Biotechnology (Including Aseptic Room)	75 Sq.Mt 90Sq.mt(desirable)	Preparation Room with minimum 10 Sq.mt area for each lab (One room can be shared by two labs, if it is in between two labs)
2	M.Pharm	02 per specialization	75 Sq.Mt	Preparation Room with minimum 10 Sq.mt area for each lab
3	B.Pharm & M.Pharm	Area of the Machine Room	80-100 Sq.mt	
4		Central Instrumentation Room	80 Sq.mts	Provided with Air Conditioning facilities
5		Store Room – I	100 Sq mts	
6		Store Room – II	20 Sq mts	

1. All the Laboratories should be well lit and ventilated.
2. All Laboratories should be provided with basic amenities and services like exhaust fans and fume chamber to reduce the pollution wherever necessary.
3. The work benches should be smooth and easily cleanable preferably made of non-absorbent material.
4. The water taps should be non-leaking and directly installed on sinks. Drainage should be efficient.
5. Balance room should be attached to the concerned laboratories.

Administrative Area

Sl.No	Course	Description	Minimum Area	Remark
1	B.Pharm & M.Pharm	Principal's Chamber	75 Sq.Mt 90Sq.mt(desirable)	
2	B.Pharm & M.Pharm	Office – I - Establishment	75 Sq.Mt	
3	B.Pharm & M.Pharm	Office – II - Academics	80-100 Sq.mt	
4	B.Pharm & M.Pharm	Confidential Room	80 Sq.mts	
5	B.Pharm & M.Pharm	Store Room – I	100 Sq mts	
6	B.Pharm & M.Pharm	Store Room – II	20 Sq mts	
7	B.Pharm & M.Pharm	H.O.D Room	20 Sq.Mt Per Faculty	
8	B.Pharm & M.Pharm	Faculty Rooms	10 Sq.Mt Per Faculty	

Ammenities

Sl. No	Courses	Description	Minimum Area	Remark
1	B.Pharm & M.Pharm	Girl's Common Room (Essential)	20 Sq.Mt	
2		Boy's Common Room	10 Sq.Mt	
3		Toilet Blocks for Boys		
4		Toilet Blocks for Girls		
5		Drinking Water facility – Water Cooler		
6		Boy's Hostel (Desirable)		
7		Girl's Hostel (Desirable)		
8		Power Backup Provision		

Other facilities

Sl.No	Course	Description	Minimum Area	Remark
1	B.Pharm & M.Pharm	Animal House	80 Sq.Mt	
2	B.Pharm & M.Pharm	Library	150 Sq.Mt	
3	B.Pharm & M.Pharm	Museum	50 Sq.Mt.	
4	B.Pharm & M.Pharm	Auditorium / Multi Purpose Hall (Desirable)		250-300 seating capacity
5	B.Pharm & M.Pharm	Seminar Hall		
6	B.Pharm & M.Pharm	Herbal Garden (Desirable)		
7	B.Pharm	Computer (Latest Configuration)	1 system for every 10 students	With Internet Browsing Facility
8	B.Pharm	Printers	1 printer for every 10 computers	
9	B.Pharm	Multi Media Projector	01	
10	M.Pharm	Computer (Latest Configuration)	1 system for every 6 students	With Internet Browsing Facility
		Printers	1 printer for every 6 computers	
11	M.Pharm	Multi Media Projector	01	For each specialization
12	B.Pharm & M.Pharm	Generator (5KVA)	01	
13	B.Pharm	Multi Media Projector	01	For each specialization

Library Facilities

Sl.No	Courses	Item	Titles (No)	Minimum Volumes (No)
1	B.Pharm & M.Pharm	Books	150	1500 adequate coverage of a large number of standard text books and titles in all disciplines of pharmacy
2	Annual Addition	Books	150	
3	B.Pharm & M.Pharm	Periodicals Hard copies / online	10 National 05 International periodicals	
		CDs	Adequate Nos	
4	B.Pharm & M.Pharm	Reprographic Facilities: Photo Copier Scanner	01 each	
5	M.Pharm	Multi Media Projector	01	For each specialization
6	B.Pharm & M.Pharm	Generator (5KVA)	01	

Appendix-E

(See Regulation - 22)

EQUIPMENT AND APPARATUS

The details of equipments and apparatus required for various departments shall be as prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secretary

[ADVT. III/4/Exty./101/14]